



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260608  
CG-DL-E-30012025-260608

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

No. 519]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

का.आ . 523(अ)— भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 के द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में कोई नई परियोजना शुरू करने या अधिसूचना में शामिल किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के साथ-साथ कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध भी अधिरोपित थे;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' एंड क्लाइट फ्लोस दा मैली यमुना बनाम सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 1994 का 725 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 1985 का 4677 में अपने तारीख 12 दिसंबर 2003 के आदेश में कहा था कि भवन निर्माण से पर्यावरण को नुकसान होता है और इसलिए, ऐसी निर्माण परियोजनाओं को 1994 की उक्त अधिसूचना के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, इसलिए, उक्त अधिसूचना को संख्या का.आ. 801(अ), तारीख 7 जुलाई, 2004, द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत भवन और प्रतिषेध परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को इसके दायरे में लाया गया था तथा पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना को, संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना कहा गया है) के अधीन अधिक्रमण कर दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसकी अनुसूची की मद 8 (क) और (ख) के अधीन आने वाली भवन और निर्माण परियोजनाओं तथा नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर कतिपय निर्बंधन और विनिर्माण लगाए गए थे तथा ऐसे किसी भी क्रियाकलाप के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को आवश्यक बनाया गया था;

और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन 11 सितम्बर, 2014 को एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में मद 8 (क) और (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में संशोधन के लिए सभी संबंधितों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं तथा प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने और उन्हें सम्मिलित करने के पश्चात् संख्या का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी;

और केरल उच्च न्यायालय, एनाकुलम ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 2016 की 3097 के मामले में अपने तारीख 6 मार्च 2024 के आदेश के अधीन 'वन अर्थ वन लाइफ बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य' में 22 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अंतिम अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना से अलग थी, हालांकि मंत्रालय को विधि के अनुसार एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी;

और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 2024 का 93 में 9 अगस्त, 2024 के अपने आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ईआईए अधिसूचना की अनुसूची के मद 8 (क) और (ख) के संबंध में सामान्य शर्तों की प्रयोज्यता से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करने या इस संबंध में स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था;

और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के महेनजर, विभिन्न भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की प्रयोज्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय के तारीख 12 दिसंबर 2003 के निर्णय का पालन करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रारूप अधिसूचना उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या का. आ. 4844 (अ) तारीख 7 नवम्बर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी से जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 7 नवम्बर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर साठ दिनों की अवधि के भीतर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थातः-

| परियोजना या गतिविधि | सीमा रेखा वाली श्रेणी   |   | शर्तें, यदि कोई हों  |   |
|---------------------|---|---|--|---|
|                     | क   | ख   |  |   |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   |
| "8                  | भवन या संनिर्माण परियोजनाएं या नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं |   |  |   |
| 8(क)                | भवन और संनिर्माण परियोजनाएं                                     | > 20000 वर्ग मीटर और < 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र | इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" को, सभी तलों पर इकट्ठे निर्मित या आच्छादित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अधीन बेसमेंट और अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं जिनका भवन या संनिर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है। | टिप्पणी 1 .— परियोजना या कार्यकलापों में औद्योगिक शेड, विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं, के लिए छात्रावास शामिल नहीं होंगे किंतु ऐसे भवन भरणीय पर्यावरणीय प्रबंधन, ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण का सुनिश्चय करेंगे और वे पुनः चक्रित सामग्रियों जैसे भस्म ईंटों का उपयोग कर सकेंगे। |

|      |                                  |  |  |   |
|------|----------------------------------|--|--|---|
|      |                                  |  |  | <b>टिप्पणी 2 .— "सामान्य शर्तें "लागू नहीं होंगी।</b> |
| 8(ख) | नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं | जो $>50$ हेक्टेयर के क्षेत्र और या $>1,50,000$ वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर कर रही हैं | इस मद के अधीन आने वाली नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से पर्यावरण समाधारण रिपोर्ट अपेक्षित होगी और उनका निर्धारण श्रेणी "ख1" परियोजना के रूप में किया जाएगा। | <b>टिप्पणी.— साधारण शर्तें "लागू नहीं होंगी।"</b>     |

[फा.सं .आईए3-3/46/2024- आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2215(अ) तारीख 7 जून 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

**S.O. 523(E).**— WHEREAS the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* its notification number S.O.60(E) dated the 27th January, 1994 imposed certain restrictions and prohibitions and requiring prior environmental clearance for undertaking any new project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project covered in the notification;

AND WHEREAS the Supreme Court of India in its order dated the 12<sup>th</sup> December 2003 in WP (C) No. 725 of 1994 and WP (C) No. 4677 of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled “And Quiet Flows the Maily Yamuna” Vs Central Pollution Control Board and Others observed that building construction causes damage to the environment and, therefore, such construction projects may be considered to be brought within the purview of the said notification of 1994, hence, the said notification was amended *vide* number S.O 801(E), dated the 7<sup>th</sup> July, 2004 bringing within its purview certain categories of building and construction projects and requiring prior environmental clearance;

AND WHEREAS subsequently the Central Government superseded the said notification, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification), *inter alia*, imposing certain restrictions and prohibitions on building and construction projects and township and area development projects covered under item 8 (a) and (b) of the Schedule thereof and required prior environment clearance for undertaking any such activities;

AND WHEREAS the Central Government under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, subsequently published a draft notification on the 11<sup>th</sup> September, 2014, inviting suggestions and objections of all concerned to the amendment in the Schedule of the EIA Notification in respect of items 8 (a) and (b) and the entries relating thereto and after considering and incorporating all the

suggestions and objections received in respect of the draft notification, made the final notification *vide* number S.O.3252(E) dated the 22<sup>nd</sup> December, 2014;

AND WHEREAS the High Court of Kerala, Ernakulam, *vide* its order dated the 6<sup>th</sup> March 2024, in the matter of WP (C) No. 3097 of 2016 titled One Earth One Life vs. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Anr., quashed and set aside the notification dated the 22<sup>nd</sup> December, 2014 on the ground that the final notification was different from the draft notification while granting liberty to the Ministry to issue a fresh notification, in accordance with the law;

AND WHEREAS in the light of judgement of Kerala High Court, the National Green Tribunal, *vide* order dated the 9<sup>th</sup> August, 2024, in Original Application No. 93 of 2024, *inter alia*, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to either comply with the provisions related to the applicability of General Conditions in respect of items 8 (a) and (b) of the Schedule to the EIA notification or to issue a clarificatory notification in this regard;

AND WHEREAS in view of the judgment of the Kerala High Court and the order of the National Green Tribunal, there is an urgent need to issue a fresh notification clarifying the issues for adhering to the judgement of the Supreme Court dated the 12<sup>th</sup> December, 2003 regarding applicability of prior environmental clearance for various building construction projects;

AND WHEREAS a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4844(E), dated the 7<sup>th</sup> November, 2024, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

AND WHEREAS copies of the said notification were made available to the public on the 7<sup>th</sup> November, 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received in response to the said notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be substituted, namely:—

| Project or Activity | Category with threshold limit  |  | Conditions if any  |     |
|---------------------|--|--|--|-----|
|                     | A  | B  |  |     |
| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)  | (5) |
| “8                  | Building or Construction projects or Area Development Projects and Townships |  |  |     |
| 8(a)                | Building and Construction projects   | $\geq 20,000$ sq.m. and < 1,50,000 sq. m. of built up area | The term “built up area” for the purpose of this notification is defined as the built up or covered area on all floors put together, including its basement and other service areas, which are proposed in the building or construction projects.<br><br>Note 1.— The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental |     |

|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
|       |   |  |   | management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks.<br>Note 2.— General Conditions shall not apply.   |
| 8 (b) | Townships and Area Development Projects |  | Covering an area $\geq$ 50 ha and/or built up area $\geq$ 1,50,000 sq. m. | A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Impact Assessment report and be appraised as Category 'B1' Project.<br>Note. — General Conditions shall not apply.”. |

[F.No. IA3-3/46/2024-IA. III]  
RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

**Note.-**The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 2215(E) dated 7<sup>th</sup> June 2024.